राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1822/2014/जयपुर
मैसर्स नेशनल इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज
जयपुर अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट–द्वितीय,वृत–करापवंचन,~~जयपुर~~ कोटा प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री आर.सी.शाह
अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से
श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी की ओर से
निर्णय दिनांकः 29.10.2015

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवसायी की ओर से अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 284/अ.प्रा.–।।/आएसटी/जयपुर/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 21.08.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि तत्कालीन सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, कोटा ने दिनांक 30.09.1999 को वाहन संख्या एम.पी. –14बी–9813 की जांच करने पर उसमें लदे माल से सम्बन्धित दस्तावेजों की जांच करने पर घोषणा पत्र एस टी 18ए प्रस्तुत किया गया,जिसके कुछ कालम रिक्त थे,अतः तत्कालीन सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, कोटा ने घोषणा पत्र को अधूरा होने के आधार पर कर चोरी की मंशा अवधारित करते हुए राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 78 (5) के अन्तर्गत रू. 1,04,317/–की शास्ति आरोपित की,जिसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील करने पर उन्होंने आदेश दिनांक 16.08.2003 को पारित कर आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग की ओर से कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत करने पर कर बोर्ड की माननीय एकलपीठ द्वारा दिनांक 18.06.2004 को अपील का निस्तारण करते हुए विभाग की अपील खारिज कर दी। कर बोर्ड की माननीय एकलपीठ के निर्णय दिनांक 18.06.2004 से असन्तुष्ट होकर विभाग की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिवीजन पेश किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एस.बी.सेल्स टेक्स रिवीजन पिटीशन क्रमांक 95/2007 का निस्तारण दिनांक 03.05.2013 को करते हुए प्रकरण सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट द्वितीय,वृत–करापवंचन,कोटा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) को प्रतिप्रेषित निर्देश दिये गये पुनः नवीन आदेश पारित करें । माननीय उच्च

न्यायालय के निर्णय की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 21.10.2013 को शास्ति आदेश पारित करते हुए माल की कीमत पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रू. 1,04,316/–आरोपित की तथा उक्त शास्ति प्रकरण की प्रथम निर्धारण तिथि दिनांक 05.10.1999 से जमा योग्य होने के कारण रू. 93,217/–ब्याज आरोपित करते हुए कुल रू. 1,97,533/–की मांग सृजित की। उक्त सृजित मांग के विरूद्ध अपीलार्थी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने शास्ति एवं ब्याज को विधि सम्मत ठहराते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार कर दी। अपीलार्थी की ओर से अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतया अविधिक एवं अनुचित है, क्योंकि उन्होंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण में दिये गये निर्देशों की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है और ना ही उनकी ओर से प्रस्तुत जवाब पर सम्पूर्ण रूप से विचार किया गया है। उनका कथन है कि परिवहनित माल के साथ संलग्न घोषणा पत्र एस टी 18ए को अपूर्ण नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसके साथ संलग्न अन्य दस्तावेजों में माल के सम्बन्ध में समस्त विगत अंकित की हुई थी। उनका कथन है कि घोषणा पत्र एस टी 18ए में आवश्यक सभी जानकानियॉं अंकित की हुई हैं,इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा घोषणा पत्र एस टी 18ए को अपूर्ण मानकर आदेश पारित कर कर एवं ब्याज आरोपित करना अविधिक है। उन्होंने अपने उक्त कथन के समर्थन में अपीलीय अधिकारी के स्तर पर उद्धृत न्यायिक दृष्टान्तों के अतिरिक्त इसी पीठ द्वारा अपील संख्या 1600/2010/जयपुर मैसर्स अशोका एण्टरप्राइजेज,जयपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,उडनदस्ता, अजमेर में पारित निर्णय दिनांक 31.03.2015 को उद्धृत करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया । प्रकरण के तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपूर्ण घोषणा पत्र एस टी 18ए प्रस्तुत करने के कारण अधिनियम की धारा 78 (2) सपठित नियम का उल्लंघन मानकर शास्ति एवं ब्याज का आरोपण किया गया है।

कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के पेज 21 पर घोषणा पत्र एस टी 18ए

संख्या 10011 उपलब्ध है,जिसके ज्यादातर कॉलम रिक्त है। इस तरह से उपलब्ध घोषणा में महत्वूपर्ण इन्द्राज नहीं किये जाने की स्थिति होने के कारण करापवंचन की आशंका के आधार पर शास्ति आरोपण को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम राजस्थान राज्य के प्रकरण में प्रतिपादित मत के अनुसार उचित माना गया। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इसी के आधार पर कर निर्धारण आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की है,जिसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य